न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 26 / 2025

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. अर्जुनराम पुत्र फुसाराम वयस्क
2. कुम्भाराम पुत्र फुसाराम वयस्क
3. घेवाराम पुत्र फुसाराम वयस्क
4. मोकीदेवी पत्नि फुसाराम वयस्क
5. चेतनराम पुत्री रामाराम वयस्क
6. पुराराम पुत्र चेनाराम वयस्क
7. सोमाराम पुत्र चेनाराम वयस्क
8. अनिता पुत्री चेनाराम वयस्क
9. नजिया पुत्री चेनाराम वयस्क
10. प्यारीदेवी पुत्री चेनाराम वयस्क
11. पांचीदेवी पुत्री चेनाराम वयस्क
12. मचरीदेवी पत्नि चेनाराम वयस्क

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भंवराराम पुत्र मिसराराम वयस्क
2 गोरधराम पुत्र मिसराराम वयस्क
3. टांकसूजीबेन पुत्री मिसराराम वयस्क
4. बबीदेवी पत्नि मिसराराम वयस्क
5. मेहराराम पुत्र लिखमाराम वयस्क
6. नींबाराम पुत्र जीवाराम वयस्क
7. सवाराम पुत्र जीवाराम वयस्क
8. रमेशकुमार पुत्र कालूराम वयस्क
9. हरीशकुमार पुत्र कालूराम वयस्क
10. शान्तिदेवी पत्नि कालूराम वयस्क
11. भंवराराम पुत्र मोटाराम वयस्क
12. शंकराराम पुत्र मोटाराम वयस्क
13. सुरताराम पुत्र मोटाराम वयस्क
14. आसुराम पुत्र जेठाराम वयस्क
15. गोबराराम पुत्र जेठाराम वयस्क
16. बाबूलाल पुत्र जेठाराम वयस्क
17. गोविन्दराम पुत्र धनाराम वयस्क
18. पूनमाराम पुत्र धनाराम वयस्क
19. प्रतापाराम पुत्र धनाराम वयस्क
20. चुनीदेवी पत्नि लिखमाराम वयस्क जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
21. बुधाराम पुत्र भैराराम वयस्क
22 सताराम पुत्र भैराराम वयस्क
23. शेराराम पुत्र आदूराम वयस्क
24. गेनाराम पुत्र मोतीराम वयस्क
25. गोमाराम पुत्र सताराम वयस्क
26. देवाराम पुत्र मोतीराम वयस्क
27. रेखाराम पुत्र पुराराम वयस्क
28. [illegible] पुत्र लिखमाराम वयस्क
29. कमला पुत्री गिरधारी[illegible]
30. [illegible] पुत्र [illegible] वयस्क
31. [illegible] पुत्र सोनाराम [illegible]
32. [illegible] पुत्र [illegible]
33. [illegible] पुत्र पुराराम [illegible]
34. गीता पुत्री गिरधारीराम वयस्क
35. गोमाराम पुत्र पुराराम वयस्क
36. चनणीदेवी पत्नि रूगनाथराम वयस्क
37. जोगाराम पुत्र खरथाराम वयस्क
38. डुंगराराम पुत्र गिरधारीराम वयस्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

39. थानाराम पुत्र रूगनाथराम वयस्क
40. थानाराम पुत्र सोनााराम वयस्क
41. दानाराम पुत्र मोतीराम वयस्क
42. धापुदेवी पत्नि गिरधारीराम वयस्क
43. पुनमाराम पुत्र लिखमाराम वयस्क
44. भेरीदेवी पत्नि पुराराम वयस्क
45. भंवराराम पुत्र सताराम वयस्क
46. भोमाराम पुत्र मोतीराम वयस्क
47. मुलाराम पुत्र मलाराम वयस्क
48. मीरोदेवी पत्नि मोतीराम वयस्क
49. मीरोदेवी पुत्र लिखमाराम वयस्क
50. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम वयस्क
51. रूपो पत्नि खरथाराम वयस्क
52. रामाराम पुत्र लिखमाराम वयस्क
53. रावताराम पुत्र सोनाराम वयस्क
54. लखुदेवी पत्नि सोनाराम वयस्क
55. सताराम पुत्र सोनाराम वयस्क जातियान जाट निवासी लोहिडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
56. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्राथीर्गगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक –17.04.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी [illegible] तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा [illegible]565 हैक्टेयर खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं [illegible] से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा 19.4565 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा 19.4565 हैक्टेयर खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा 19.4565 हैक्टेयर खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा 19.4565 हैक्टेयर खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो [illegible] हाजिर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। [illegible] में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी में खसरा संख्या 5/1 रकबा 19.4565 हैक्टेयर खसरा संख्या 5/4 रकबा 3.0742 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested